राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–।।/ 18669-76 दिनांकः–29 जनवरी 2014

आदेश संख्या 364/2013–14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार पद पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2010–11 की बैठक में श्री चन्द्र महेश गुप्ता कनिष्ठ लेखाकार (566/86 लिंक नम्बर 3019) जन्म तिथि 30.06.1960 के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति नतीजे को बन्द लिफाफे में रखे जाने की अनुशंषा की गई थी उक्त जांच प्रकरण में विभागीय आदेश संख्या एफ–1(सी)1338/जांच/2010/816–820 दिंनाक 5.12.2013 के द्वारा दोषमुक्त करते हुये प्रकरण समाप्त कर दिये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति 2010–11 के द्वारा श्री चन्द्र महेश गुप्ता (मेरिट नम्बर 566/86) को 2010–11 की रिक्तियों के विरूद्ध लेखाकार के पद पर चयन मानते हुये नियमित चयन आदेश तथा पदस्थापन आदेश जारी करने की अनुशंषा की गई है ।

श्री चन्द्र महेश गुप्ता (मेरिट नम्बर 566/86) की वरिष्ठता वर्ष 2010–11 में चयनित लेखाकारों की सूची में श्री बाबूलाल शर्मा (मेरिट नम्बर 565/86) तथा श्री लालचन्द धाकड (मेरिट नम्बर 567ए/86) के मध्य रहेगी।

श्री चन्द्र महेश गुप्ता को लेखाकार के पद पर चयनित वर्ष की अन्तिम तिथि 31.3.2011 से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की वेतन श्रृखंला में वेतन निर्धारण हेतु केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा ।

श्री चन्द्र महेश गुप्ता कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में लेखाकार के अस्थाई क्रमोन्नत पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है ।

उक्त आदेश विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन/ लम्बित प्रकरणों के निर्णयाधीन होगा ।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–।।/ 18669-76 दिनांकः–29 जनवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जयपुर
2. कोषाधिकारी, सचिवालय जयपुर
3. श्री चन्द्र महेश गुप्ता कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II) को भेजकर निवेदन है किश्री चन्द्र महेश गुप्ता कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली पूर्ण कर भिजवाने की व्यवस्था करावें ।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. गोपनीय शाखा/ डीपीसी अनुभाग
8. व्यक्तिगत पंजिका।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)
कोष एवं लेखा विभाग

D:\Accountants\Rajeev\letter Transfer Order 2013.doc